(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/16

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री चन्द्रप्रकाश कुशवाह पुत्र श्री इन्द्रजीत कुशवाह उम्र 31 वर्ष जाति कुशवाह निवासी वार्ड नम्बर–7 किशनगंज जिला बारॉ (मौके पर मौजुद विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स कुशवाह किराना स्टोर बस स्टेण्ड किशनगंज जिला बारॉ
2. मैसर्स दीपक इण्डस्ट्रिज, 5 उद्योग पुरी, नेमावार रोड, इन्दौर–452001 (निर्माता)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट, 2006 एवं विनियम, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1)
3– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 2)

निर्णय दिनांक 01.08.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.02.2021 को मैसर्स कुशवाह किराना स्टोर, बस स्टेण्ड, किशनगंज जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री चन्द्रप्रकाश कुशवाह पुत्र श्री इन्द्रजीत कुशवाह(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.02.2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2020/1041 दिनांक 31.12.2020 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:30:5? IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **तिल्ली तेल (तिल गोल्ड) 500 मी.ली. पैक मे 6 बोतल** आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **तिल्ली तेल (तिल गोल्ड) 500 मी.ली. पैक** में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **तिल्ली तेल (तिल गोल्ड) 500 मी. ली. पैक की 04 बोतल** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत श्री चन्द्रप्रकाश कुशवाह पुत्र श्री इन्द्रजीत कुशवाह (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 320/– रूपये (अक्षरे तीन सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **तिल्ली तेल (तिल गोल्ड) 500 मी.ली. पैक** मूल बोतल पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1151 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1151 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री चन्द्रप्रकाश कुशवाह पुत्र श्री इन्द्रजीत कुशवाह (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएस [illegible] 21/44 दिनांक 22.02.2021 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक [illegible] जांच रिपोर्ट क्रमांक 81/PHL/kota/Act/2021/117 दिनांक 17.02.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **तिल्ली तेल (तिल गोल्ड) 500 मी.ली. पैक बोतल** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 के अन्तर्गत [illegible] is also Mislead consumer about ist original character hence sample in declared misbranded food under saction 3 (1)(zf) (A)(i) (a)(c) (i) & sub Standard section 3 (1)(zx) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:57 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दिनांक 03.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई है। अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 2 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **तिल्ली तेल (तिल गोल्ड) 500 मी.ली. पैक बोतल** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard**) एवं धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं 52 में तथा बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 2 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 2 **तिल्ली तेल (तिल गोल्ड)** का निर्माता है। परिवादी द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 को कभी भी जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं करवायी गई है यदि कथित रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाई जाती तो अप्रार्थी क्रम 2 उक्त जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में दोबारा नमूना जांच हेतु अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अवश्य पेश करता। खाद्य पदार्थ **तिल्ली तेल (तिल गोल्ड)500 मी.ली. पैक बोतल** का लिया गया नमूना एवं नमूने की पैकिंग व रखरखाव की सुरक्षा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4–1 प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार न होने से परिवाद निरस्तनीय है। नमूने का विश्लेषण करने वाली प्रयोगशालायें मान्यता प्राप्त नहीं है। खाद्य निरीक्षक ने एक्ट के महत्त्वपूर्ण आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर विधिक प्रक्रिया अपनाये बगैर गलत तथ्यों पर यह परिवाद पेश किया है जो गलत एवं अस्वीकार करने योग्य है। परिवादी ने जान–बूझकर बिना किसी वैध एवं युक्तियुक्त आधार के अप्रार्थी क्रम 2 को जैरबार व परेशान करने की गरज से उक्त परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब परिवाद कार्यवाही पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 02 के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 01 यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 81/PHL/kota/Act/2021/117 दिनांक 17.02.2021 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 01 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **तिल्ली तेल (तिल गोल्ड) 500 मी.ली. पैक बोतल** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 81/PHL/kota/Act/2021/117 दिनांक 17.02.2021 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** एवं धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं 52 में तथा बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना धारा 58 के तहत अप्रार्थीगण को राशि कुल जुर्माना राशि 25,000/– रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि जरिये तहरीर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक **01.08.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:57 IST
Reason: SelfAttested